पत्र संख्या–आई0टी0–ऑनलाइन आडिट माड्यूल /2020–21/1062/2021048 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0–अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: फरवरी, 25 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 के लिये जी0एस0टी0 आडिट हेतु पंजीकृत व्यक्तियों के चयन आडिट प्रक्रिया के निष्पादन तथा जी0एस0टी0 आडिट विंग में तैनात अधिकारियों हेतु कार्यात्मक लक्ष्यों के निर्धारण के सम्बंध में परिपत्र संख्या–GST-Audit/2020-21/499/2021038/ वाणिज्य कर दिनांक 15.01.2021 के माध्यम से निर्गत किया जा चुका है। उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में ऑनलाइन माड्यूल विकसित किया गया है। ऑनलाइन माड्यूल से सम्बंधित प्रक्रिया निम्नवत् है:–

1– यूजर आई0डी0 क्रियेशन हेतु टैक्स आडिट में तैनात ज्वाइण्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर तथा वाणिज्य कर अधिकारियों के User ID Location पर नामित Local Administrator के द्वारा निर्मित किये जायेंगें। इसके अतिरिक्त जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा नामित जोनल/लोकल कमेटी के अधिकारियों का लॉगिन भी Local Administrator द्वारा निर्मित किया जायेगा तथा अधिकारियों के स्थानान्तरण की स्थिति में तुरन्त ही पूर्व निर्मित आई0डी0 को डिलीट करते हुए नई आई0डी0 का निर्माण करना सम्बंधित Local Administrator का उत्तरदायित्व होगा।

2– आडिट हेतु चयनित पंजीकृत व्यक्तियों की सूची में निर्धारित श्रेणी क्रम में सम्बंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर टैक्स आडिट, डिप्टी कमिश्नर टैक्स आडिट तथा असिस्टेंट कमिश्नर टैक्स आडिट के लॉगिन पर उपलब्ध होगी। प्रत्येक अधिकारी के लॉगिन पर डैशबोर्ड में चयनित पंजीकृत व्यक्तियों का विवरण डैशबोर्ड में Available Cases के Link में उपलब्ध होगा।

3– सम्बंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर टैक्स आडिट द्वारा चयनित पंजीकृत व्यक्तियों की सूची में से त्रैमासिक रूप से किये जाने वाले वादों के सम्बंध में कैलेन्डर ऑनलाइन निर्मित किया जायेगा।

4– त्रैमासिक रूप से निर्मित ऑनलाइन कैलेन्डर के अनुसार वादों के Predesk Audit हेतु Manual में निर्धारित प्रारूप सम्बंधित टैक्स आडिट अधिकारियों के लॉगिन पर उपलब्ध होगा। Predesk Audit में जिन Fields का डाटा ऑनलाइन डाटाबेस में उपलब्ध है वह पूर्व से अंतिम रूप में उपलब्ध हो जायेगा। शेष डाटा सम्बंधित अधिकारियों के द्वारा भरा जायेगा।

5– Predesk Audit को अन्तिम रूप में सम्मिलित करने के पश्चात सम्बंधित रिपोर्ट ज्वाइण्ट कमिश्नर टैक्स आडिट के लॉगिन पर उपलब्ध डैशबोर्ड में Pending at JC के Link पर उपलब्ध होगी। ज्वाइण्ट कमिश्नर टैक्स आडिट द्वारा Predesk Review Report को Approve करने पर सम्बंधित रिपोर्ट जोनल/लोकल कमेटी के नामित सदस्यों के लॉगिन पर उपलब्ध हो जायेगी। जोनल/लोकल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा उक्त रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी ऑनलाइन अंकित की जायेगी तथा टिप्पणी से सम्बंधित बिन्दुओं को मॉड्यूल में अपलोड भी किया जा सकेगा।

6– जोनल/लोकल कमेटी द्वारा आडिट हेतु निर्धारित अवधि स्थान तथा आडिट टीम का अंकन ज्वाइण्ट कमिश्नर टैक्स आडिट द्वारा माड्यूल में किया जायेगा। ज्वाइण्ट कमिश्र टैक्स आडिट द्वारा आडिट टीम के ऑनलाइन अंकन करते ही आडिट टीम के प्रभारी अधिकारी के लॉगिन पर चयनित पंजीकृत व्यक्तियों से सम्बंधित Predesk Review Report उपलब्ध हो जायेगी।

7– निर्धारित आडिट टीम द्वारा आडिट अवधि में जांच किये जाने वाले प्रपत्रों के आडिट के दौरान व्यापारिक सम्व्यवहारों से सम्बंधित महत्वपूर्ण Ratio तथा आडिट के सम्पादन से सम्बंधित विभिन्न बिन्दुओं पर **माड्यूल** में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टिप्पणी ऑनलाइन ही अंकित की जायेगी। आडिट से सम्बंधित इन विवरणों के अन्तिम रूप से Submit करने के पश्चात सम्बंधित Draft विवरण जोनल/लोकल कमेटी के लॉगिन पर उपलब्ध हो जायेगा तथा जोनल/लोकल कमेटी द्वारा दिये गये मंतब्य के क्रम में आडिट टीम द्वारा Final Report निर्धारित समय सीमा में अपलोड की जायेगी।

8– चयनित पंजीकृत व्यक्तियों के आडिट हेतु निर्धारित आडिट टीम के अध्यक्ष की लॉगिन पर आडिट में पायी गयी कमियों के सम्बंध में व्यापारी को नोटिस सम्बंधी विकल्प उपलब्ध होगा जिसमें अधिकारी द्वारा व्यापारी को Tax Interest तथा Any other Amount के Short Payment के सम्बंध में नोटिस निर्गत किया जायेगा। सम्बंधित नोटिस जनरेट करते ही व्यापारी के ई–मेल तथा डाटाबेस में उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर सूचना प्रेषित हो जायेगी।

उक्त के क्रम में सम्बंधित अधिकारियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय स्तर से **Video Conferencing** द्वारा टैक्स आडिट में कार्यरत अधिकारियों तथा सम्बंधित सिस्टम इंटीग्रेटर्स को निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यदि माड्यूल में किसी प्रकार के संशोधन अथवा त्रुटियों के निवारण की आवश्यकता हो तो उस सम्बंध में आई0टी0 अनुभाग की ई–मेल आई0डी0–ctithqlu-up@nic.in पर प्रेषित किया जा सकता है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।